-:प्रेस विज्ञप्ति:-

विरष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या—06 सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष सश्रम कारावास व 7500 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई: —

अवगत कराना है, कि दिनांक 09.07.2017 को वादी अब्दुल कय्यूम पुत्र महबूब नि0 गुलाब बहेडकी थाना को०देहात जनपद सहारनपुर के चाचा अय्यूब व चचेरे भाई खुशनूद को अभियुक्त अमजद पुत्र छोटा उर्फ मुस्तकीम नि0 रसुलपुर पापडेकी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर द्वारा अपने साथीयों की सह पर जान से मारने की नियत से छूरी मारकर घायल करना व छूरी छोडकर भाग जाने की सूचना पर मु0अ0स0 250/2017 धारा 452,324,307,120बी भादवि में थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत किया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 624/2017 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0—06 स0पुर में विचाराधीन था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में थाने से की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के कारण माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0—06 स0पुर द्वारा आज दिनांक 31.03.2021 को अभियुक्त अमजद पुत्र छोटा उर्फ मुस्तकीम को मु0अ0स0 250/2017 धारा 452,324,307 भादवि में दोषी पाते हुए 07 वर्ष का सश्रम कारावास 7500 रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डत किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 31-03-2021

सहारनपुर पुलिस द्वारा आगामी त्योहारों/त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021 की तैयारियों एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ बनायें रखने हेतु 24 घंटो के अन्दर की गई कार्यवाही:-

- जनपद पुलिस द्वारा अन्तर्गत धारा 107/116 द0प्र0सं0 के तहत 39 वादो में कुल 936 व्यक्तियों के विरुद्व कार्यवाही की गई हैं।
- शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत आपराधिक छवि के कुल 05 अभियुक्तो के विरुद्व विभिन्न धाराओं में चालानी रिपोर्ट प्रेषित की गई हैं।
- जनपद के विभिन्न थानो द्वारा आबकारी एवं आर्म्स एक्ट में वांछित चल रहे कुल 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया हैं।
- थाना कोतवाली देहात, थाना देवबंद, थाना मिर्जापुर एवं थाना नकुड़ पुलिस द्वारा अवैध शराब व अवैध शस्त्र सहित कुल 05 अभियुक्तो को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा गया।
- आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2021 की प्रक्रिया को शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत एवं कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ बनाये रखने हेतु 24 घंटों में कुल 242 लाईसेन्सी शस्त्र जमा कराये गये।
- त्योहारों एवं आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2021 की प्रक्रिया को शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत तथा संवेदनशीलता को कम करने हेतु जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में निरंतर भ्रमणशील रहते हुए आम जनमानस को शांतिपूर्वक त्यौहार को मनाने के साथ-साथ कोविड-19 प्रोटोकाल के नियमों का पालन करने हेतु अपील की गई । इसके अतिरिक्त जनपद के राजपत्रित अधिकारी अपराध की रोकथाम एवं कानून-व्यवस्था के मद्देनजर क्षेत्रों में निरंतर भ्रमणशील रहकर स्थितियों का जायजा लिया जा रहा है।

-ः प्रेस विज्ञप्ति :-

आज दिनांकः 31.03.2021 को पुलिस लाइन्स सभागार में डा० एस० चन्नप्पा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के दिशा निर्देशन में पेंशनर्स विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री अजेन्द्र यादव, क्षेत्राधिकारी, सदर सहारनपुर द्वारा पेंशन पर जाने वाले अधि०/कर्म० को माला पहनाकर एवं शॉल व सफारी शूट देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर श्री राजेन्द्र शर्मा, प्रतिनिधि प्रतिसार निरीक्षक एवं पुलिस लाइन्स में नियुक्त अधि०/कर्म० सम्मिलित हुए। पेंशन पर जाने वाले अधि०/कर्म० का विवरण निम्नवत् है—

- 1— उप निरीक्षक ना०पु० श्री भीष्मपाल
- 2— उप निरीक्षक ना0पु0 श्री राजबीर सिहं
- 3— मुख्य आरक्षी नापु ऋषिपाल सिहं

प्रेस नोट दिनांक 31-03-2021

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार :--

दिनांक 30—03—2021 को थाना देवबन्द पुलिस द्वारा जंगल ग्राम बास्तम से अभि0 1—पदम सिंह पुत्र काशीराम व 2—श्यामलाल पुत्र बलजीत निवासी सलोनी पीर माजरा थाना देवबन्द, सहारनपुर को 06 लीटर शराब खाम व शराब बनाने के उपकरण मय 40 लीटर लहन सिंहत गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0 201/21 धारा 60(1)ड,छ/62 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।

थाना नकुड पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 30-03-2021 को थाना नकुड पुलिस द्वारा निकट शुक्रताल सडक पुख्ता मीरपुर से अभि0 राजकुमार पुत्र बलजीत निवासी ग्राम नथोडी थाना नकुड, सहारनपुर को 13 बोतल देशी शराब सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना नकुड पर मु0अ०सं० 132/21 धारा 63 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :--

दिनांक 30–03–2021 को थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा अजीजुर्र रहमान की कोठी हथनीकुण्ड से अभि0 सुफियान पुत्र जुलफान निवासी ग्राम लोधीबांस थाना मिर्जापुर, सहारनपुर को 24 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का सिहत गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना मिर्जापुर पर मु0अ०सं० 71/21 धारा 60/63 आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया।

मीड़िया / सोशल मीड़िया सेल सहारनपुर।